

२७/२२

प्राची व प्राची अधिवक्ता उपस्थित गनी। प्राची
त प्राची अधिवक्ता को रुक-र कर उबार
आवाज लगावाइ गई कोई उपस्थित गनी
आया। प्राची का प्राचीना पत्र अन्तगत धारा
२।२ RTA अदम पेशी अदम काजरी में खारिज
किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी निबंधात्ता
दिनांक ०३/०३/२२ इसी स्तर पर निस्त की जाती
है। पत्रावली निधीति हुकर गम्बर से कम
होकर दाखिल हुकर हो

उपबन्ध अधिकारी (राजस्व)
श्री करपपुर